मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

पंजीकरण दिनाँक: निर्णय दिनाँक: अवधि:
17/12/16 05/08/20 3 वर्ष, 7 माह, 19 दिन

पीठासीनः चंद्रोदय कुमार, एच.जे.एस.

एम.ए.सी.पी.संख्या– 593/2016

मोहन लाल पुत्र रामनाथ उम्र 32 साल निवासी ग्राम बम्होरी सुहागी थाना मऊरानीपुर जिला झाँसी। ––––––––––याची

प्रति

1. गौरीशंकर पुत्र बालकिशन निवासी 7/13 नालगंज सीपरी बाजार, झाँसी .....पंजीकृत मालिक मिनी ट्रक सं. यू.पी. 93 ई 9639

2. दीपक कुमार पुत्र मंगल निवासी 609 मुहल्ला टाल सदर बाजार,झाँसी .....चालक वाहन सं. यू.पी. 93 ई 9639

3. शाखा प्रबन्धक, यूनाईटेड इण्डिया इं. क. लि., चित्रा चौराहा के पास सीपरी बाजार, झाँसी .....बीमाकर्ता वाहन सं. यू.पी. 93 ई 9639

––––––––––विपक्षीगण

याची के अधिवक्ता – श्री रमेश चन्द्र अहिरवार
विपक्षी सं. 3 के अधिवक्ता – श्री आर. के. राव

निर्णय

प्रस्तुत याचिका याची मोहन लाल द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम की धारा 166 व 140 के अन्तर्गत कथित मोटर वाहन दुर्घटना में स्वयं को आयी चोटों के कारण ₹ 21,35,000/– क्षतिपूर्ति दिलाये जान हेतु विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. संक्षेप में प्रकरण यह है कि याची मोहन लाल दिनाँक 20.10.2016 को समय करीब शाम 4 बजे बरूआसागर बस स्टैण्ड के पास होटल से नाश्ता करके पैदल अपनी खड़ी मोटर साइकिल के पास आ रहा था, कि झाँसी की तरफ से आ रहा मिनी ट्रक सं. यू.पी. 93 ई 9639 के चालक ने अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर याची को जोरदार टक्कर मार दी जिससे चोट लगने के कारण वह गम्भीर रूप से घायल हो गया। तभी पीछे से याची के गांव के हरगोविन्द जो मोटर साइकिल से झाँसी जा रहे थे, ने याची को देखकर याची के घर फोन से सूचना दी तथा याची को मेडिकल कॉलेज, झाँसी में भर्ती कराया जहां पर याची ने दिनांक 22.10.2016 से 29.11.2016 तक भर्ती रहकर इलाज कराया जहां पर पैर का ऑपरेशन हुआ और रॉड डाली गयी। दिनांक 23.10.2016 को याची के पिता ने दुर्घटना की रिपोर्ट लिखाने के लिए थाना बरूआसागर में प्रार्थनापत्र दिया। जब याची का पिता दिनांक 24.11.2016 को थाने पर गया व जानकारी की तो उसे बताया गया कि उसका प्रार्थनापत्र खो गया है। वह पुनः प्रार्थनापत्र दे दे। तब उसने पुनः प्रार्थनापत्र दिया। तब दिनांक 24.11.2016 को ट्रक सं. यू.पी. 93 ई 9639 के चालक के विरूद्ध थाना बरूआसागर पर रिपोर्ट लिखी गयी। ट्रक चालक दुर्घटना स्थल पर ट्रक को खड़ा करके मौके से भाग गया था। याची दुर्घटना में आयी चोटों के कारण अब कोई कार्य नहीं कर पा रहा है। वह दूसरों पर निर्भर रह रहा है। वह कारीगरी करके 9000/–रुपये प्रतिमाह कमा लेता था।

3. विपक्षी सं. 1 व 2 क्रमशः प्रश्नगत ट्रक सं. यू.पी. 93 ई 9639 के पंजीकृत स्वामी व चालक की ओर से कोई जवाबदावा दाखिल नहीं किया गया है तथा वे नियत दिनांक पर उपस्थित भी नहीं आये अतः न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांकित 10.10.2018 व 14.11.20218 के अनुसार विपक्षी सं. 1 व 2 विरूद्ध याचिका में एक पक्षीय कार्यवाही अग्रसारित की गयी है।

4. विपक्षी सं. 3 शाखा प्रबन्धक यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड कथित ट्रक सं. यू.पी. 93 ई 9639 की बीमा कम्पनी की ओर से 26 बी जवाबदावा दाखिल किया

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.08.05 13:16:23 IST
Reason: Document Owner
Location: MOTOR ACCIDENT CLAIM TRIBUNAL JHANSI

गया है, जिसमें उसने याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किये हैं, कि यदि यह पाया जाता है कि कथित दुर्घटना के समय ट्रक चालक के पास कोई वैध व प्रभावी लाइसेन्स नहीं था तथा वह बिना मार्ग परमिट के बीमा पॉलिसी की शर्तों के विरूद्ध अवैधानिक रूप से ट्रक चला रहा था तब विपक्षी बीमा कम्पनी की क्षतिपूर्ति अदायगी के बावत कोई जिम्मेंदारी नहीं बनती है। विपक्षी बीमा कम्पनी का उत्तरदायित्व बीमा पॉलिसी की शर्तो के अनुसार ही होता है।

5. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर दिनॉक 11.04.2018 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये हैंः–

1. क्या दिनॉक 22.10.2016 को समय करीब सायंकाल 4 बजे, जब याची बरूआसागर बस स्टैण्ड के पास, वहद थाना बरूआसागर जिला झॉसी में होटल से नाश्ता कर पैदल अपने वाहन की तरफ जा रहा था, तो विपक्षी सं01 के मिनी ट्रक सं. यू.पी. 93 ई 9639 के चालक/विपक्षी सं. 2 ने उक्त वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाते हुये याची को जोरदार टक्कर मार कर गम्भीर चोटें पहुंचायीं?

2. क्या प्रश्नगत दुर्घटना की तिथि व समय पर विपक्षी सं.1 के मिनी ट्रक सं. यू.पी. 93 ई 9639 के चालक/विपक्षी सं. 2 के पास वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स था?

3. क्या प्रश्नगत दुर्घटना की तिथि व समय पर विपक्षी सं. 1 की मिनी ट्रक सं. यू.पी. 93 ई 9639 विपक्षी सं. 3 यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि. से विधिवत बीमित थी?

4. क्या याची कोई प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी है, यदि हॉ , तो कितना व किससे?

6. पक्षकारों की ओर से निम्नलिखित दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैंः–

याची की ओर से

<u>अभिलेखीय साक्ष्य</u>

1. याची द्वारा फेहरिस्त 7 सी1 से 8 सी1/1 लगायत 8 सी1/3 प्रथम सूचना रिपोर्ट व तहरीर की छाया प्रतियां व फैहरिस्त 12 सी1 के माध्यम से 13 सी/1 लगायत 17 सी1 प्रपत्र दाखिल किये गये, जिनमें पंजीयन प्रमाण पत्र, बीमा पालिसी, अथोराइजेशन प्रमाणपत्र, स्वस्थता प्रमाणपत्र व ड्राईविंग लाइसेन्स की छाया प्रतियॉ शामिल हैं,

2. याची द्वारा एक अन्य फेहरिस्त 28 सी के माध्यम से 29 सी1/1 लगायत 32 सी1, 33 सी1 लगायत 33 सी1/76 व 34 सी1/1 लगायत 36 सी1/4 प्रपत्र दाखिल किये गये हैं, जिनमें नक्शा नजरी, चार्ज शीट, प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपियां, तहरीर की छाया प्रति व अनेक दवाओं के बिल, असल पर्चे, व असल इंजरी रिपोर्ट, असल मुक्ति पत्र व असल रेडियोलॉजी रिपोर्ट, एक्स–रे रिपोर्ट व अन्य पर्चे आदि शामिल हैं।

<u>मौखिक साक्ष्य–</u>

पी.डब्लू.1 याची मोहन लाल

विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी की ओर से –

<u>अभिलेखीय साक्ष्य</u>–

3. विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी की ओर से फेहरिस्त 40 सी1 से 41 बी/1 लगायत 41 बी/3 अन्वेषक द्वारा दवाईयों के बिलों की सत्यापन आख्या दाखिल की गयी है।

4. विपक्षीगण 1 व 2 की ओर से कोई मौखिक साक्ष्य दाखिल नहीं की गयी है।

7. मैंने वर्चुअल कोर्ट में याची एवं विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया तथा उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन किया।

8. <u>निस्तारण वाद बिन्दु सं. 1</u>

वाद बिन्दु सं. 1 को साबित करने के लिये याची की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट, नक्शा–नजरी, आरोप–पत्र की प्रमाणित प्रतियां व असल इंजरी रिपोर्ट दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की गयी हैं तथा मौखिक साक्ष्य में पी.डब्लू. 1 मोहन लाल याची स्वयं जिसे कि दुर्घटना में चोटें आयी हैं, को परीक्षित कराया गया है। याची पी.डब्लू. 1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना का विस्तृत विवरण देते हुये साक्ष्य दिया है कि घटना दिनांक 22.10.2016 समय लगभग 4 बजे शाम की है। वह बरूआसागर स्टेण्ड के पास नाश्ता करके पैदल अपने साथियों के साथ खड़ी मोटर साइकिल के पास जा रहा था कि झाँसी की तरफ से आ रहे वाहन सं. यू.पी. 93 ई 9639 के चालक ने अपने ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाकर याची में जोरदार टक्कर मार दी जिससे याची गम्भीर रूप से घायल हो गया। उसे घायल अवस्था में मेडिकल कालेज, झाँसी में भर्ती करवाया गया। इस साक्षी की प्रति परीक्षा से ऐसा कोई तात्विक तथ्य स्पष्ट नहीं हुआ है जिससे की सत्यता पर संदेह किया जा सके। विवेचना अधिकारी द्वारा बनाए गए नक्शा नगरी से भी इस साक्षी का बयान मेल खाता है जो कि निम्न प्रकार है–

बीमा कंपनी की ओर से भी कोई अन्वेषण आख्या प्रस्तुत नहीं की गई है जो यह बताए की दुर्घटना नहीं हुई या किसी अन्य प्रकार से हुई या किसी अन्य वाहन से हुई।

9. दुर्घटना तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगभग एक माह का विलंब है। विधि व्यवस्था **रवि बनाम बद्रीनारायण व अन्य (18.02.2011 – SC): MANU / SC / 0133/2011** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि *मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति के दावे के लिए एफ.आई.आर. निश्चित रूप से दुर्घटना के तथ्य को साबित करती है जिससे कि पीड़ित क्षतिपूर्ति के लिए एक मामले को दर्ज करने में सक्षम है लेकिन ऐसा करने में देरी दावे को खारिज करने का मुख्य आधार नहीं हो सकती है। घटनाओं के संचयी प्रभाव को आंका जाना है। [पैरा – २० और २१]* याची के पिता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है तथा याची को दुर्घटना में स्वयं चोटें आयी हैं। याची के पिता ने भरती रहकर इलाज कराने का बिलम्ब का स्वाभाविक कारण अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी दिया है। पी.डब्लू.1 ने यह भी साक्ष्य दिया है कि दुर्घटना की रिपोर्ट हेतु उसके पिता द्वारा दिनांक 23.10.2016 को थाना बरूआसागर में प्रार्थनापत्र दिया था एवं थाने वालों ने कहा था कि पहले अपने लड़के का इलाज करवाओ रिपोर्ट बाद में लिखेंगे। जब याची ठीक हुआ तब थाने पर गया तो कहा कि 23.10.2016 का प्रार्थनापत्र खो गया है। इसके बाद दूसरा प्रार्थनापत्र 2.11.2016 को थाना बरूआसागर में ट्रक सं. यू.पी. 93 ई 9639 के चालक के विरूद्ध दिया गया। तत्पश्चात प्रश्नगत ट्रक के चालक के विरूद्ध मुकदमा अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं. पंजीकृत किया गया। पत्रावली पर याची की ओर से दाखिल आरोपपत्र के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि विवेचक ने बाद विवेचना विपक्षी सं. 2 दीपक कुमार प्रश्नगत ट्रक के चालक के विरूद्ध आरोपपत्र दाखिल किया है तथा याची की इंजरी रिपोर्ट के अवलोकन से विदित है कि चिकित्सक ने दिनांक 22.10.2016 को ही याची की चोटों का चिकित्सीय परीक्षण किया है तथा उन्होंने यह पाया कि वर्णित चोटें फ्रेश है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्य व याची की मौखिक साक्ष्य के अवलोकन से विपक्षी के इस कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है कि प्रस्तुत प्रकरण की दुर्घटना में कोई अन्य वाहन संलिप्त था। विधि व्यवस्था **अर्चित सैनी व अन्य बनाम द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड व अन्य (09.02.2018–S.C) : MANU/SC/ 0105/2018** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया गया है कि *मोटर दुर्घटना से संबंधित मामले में दावेदारों को मामले में इतनी यात्रा की आवश्यकता नहीं है जितनी कि एक आपराधिक मुकदमें में। न्यायालय को इस अंतर को ध्यान में रखना चाहिए। एक विशेष बस द्वारा एक विशेष ढंग से दुर्घटना कारित किए जाने को सख्त सबूत द्वारा साबित किया जाना दावेदारों के लिये संभव नहीं है। दावेदारों को केवल अधिसंभाव्यता की प्रबलता की कसौटी पर अपना मामला स्थापित करना था। उचित संदेह से परे प्रमाण का मानक नहीं हो सकता था।*

10. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर मै इस निष्कर्ष का हूँ कि दिनॉक 22.10.2016 को समय करीब सायंकाल 4 बजे, जब याची बरूआसागर बस स्टैण्ड के पास, वहद थाना बरूआसागर जिला झॉसी में होटल से नाश्ता कर पैदल अपने वाहन की तरफ जा रहा था, तो विपक्षी सं. 1 के मिनी ट्रक सं. यू.पी. 93 ई 9639 के चालक/विपक्षी सं. 2 ने उक्त वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाते हुये याची को जोरदार टक्कर मार कर गम्भीर चोटें पहुंचायी। तदनुसार वाद बिन्दु सं. 1 सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

11. निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 2

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर याची की ओर से प्रपत्र सं. 17 सी1 ट्रक सं. यू.पी. 93 ई 9639 के चालक दीपक कुमार की चालन अनुज्ञप्ति की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार चालक दिनॉक 19.03.2016 से 06.11.2028 तक ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने के लिए अनुज्ञप्त है। घटना दिनॉक 22.10.2016 की है। आरोप पत्र चालक दीपक कुमार के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। इस अनुज्ञप्ति का खंडन विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा नही किया जा सका है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रश्नगत दुर्घटना की तिथि व समय पर विपक्षी

सं. 1 के मिनी ट्रक सं. यू.पी. 93 ई 9639 के चालक/विपक्षी सं. 2 के पास वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स था। अत: वाद बिन्दु सं. 2 सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

12. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 3</u>

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर याची की ओर से प्रपत्र सं. 14 सी1 प्रश्नगत ट्रक की बीमा पॉलिसी की छाया प्रति दाखिल की गयी है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि प्रश्नगत ट्रक का बीमा पैकेज पॉलिसी के अन्तर्गत दिनांक 29.03.2016 से 28.03.2017 तक प्रभावी है। इस बीमा पॉलिसी का खंडन विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा नही किया गया है। इसके अतिरिक्त याची की ओर से प्रपत्र सं. 13 सी1, 15 सी1 व 16 सी1 प्रश्नगत ट्रक के पंजीयन प्रमाणपत्र,अथोराइजेशन प्रमाणपत्र व स्वस्थता प्रमाणपत्र की छाया प्रतियां भी दाखिल की गयीं हैं, जिनका खंण्डन भी विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा नहीं किया जा सका है। घटना दिनॉक 22.10.2016 की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रश्नगत दुर्घटना की तिथि व समय पर विपक्षी सं. 1 की मिनी ट्रक सं. यू.पी. 93 ई 9639 विपक्षी सं. 3 यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कं. लि. से विधिवत बीमित थी। तदनुसार वाद बिन्दु सं. 3 सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

13. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 4</u>

वाद बिन्दु सं. 1 के निस्तारण से यह साबित है कि प्रश्नगत दुर्घटना के दिनांक व समय पर प्रश्नगत ट्रक सं. यू.पी. 93 ई 9639 का चालक उक्त वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ आया और याची में टक्कर मार दी जिससे याची को गम्भीर चोटें आयीं। इस प्रकार याची क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है। अब प्रश्न यह है कि याची किस विपक्षी से और कितनी क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी है? चूंकि वाद बिन्दु संख्या 2 व 3 सकारात्मक रूप से निर्णीत किये हैं अतः क्षतिपूर्ति का दायित्व विपक्षी सं. 3 यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड का है।

14. याची की ओर से अपनी याचिका में स्थाई रूप से विकलांगता का कोई कथन नहीं किया गया है न उसने इस सम्बन्ध में कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल किया है। याची ने कथन किया है कि उसे दुर्घटना में आयी गम्भीर चोटों के कारण मेडिकल कॉलेज, झॉसी में भर्ती किया गया जहां उसने 22.10.2016 से 29.11.2016 तक भर्ती रहकर इलाज कराय, जहां पैर का आपरेशन हुआ और राड डाली गयी। उक्त कथनों की पुष्टि पी.डब्लू. 1 के रूप में याची ने की है तथा साक्ष्य में यह भी कथन किया है कि इसके बाद उसने 28.01.2017 से 12.02.2017 तक भी मेडिकल कालेज, झॉसी में भर्ती रहकर इलाज कराया। याची ने अपने कथनों के समर्थन में फैहरिस्त 28 सी1 से महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कॉलेज, झॉसी के असल चोट प्रपत्र, असल चिकित्सालय मुक्ति पत्र, असल पर्चे, असल रेडियोलॉजी रिपोर्ट तथा विभिन्न अन्य दवाओं के पर्चे , पैथोलॉजी रिपोर्ट, एक्स–रे रिपोर्ट रसीदें, व दवाओं के बिल, रसीदें आदि दाखिल किये गये हैं। विपक्षी बीमा कम्पनी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा बिलों के सत्यापन हेतु अन्वेषक आख्या 41 बी पत्रावली पर दाखिल की गयी है। उक्त अन्वेषक आख्या में अन्वेषक द्वारा जिन बिलों पर याची का नाम नहीं है तथा जो पठनीय नहीं है, उनको छोड़कर कुल 143 बिल मुब. 62,541/– रु. के सत्यापित किये गये हैं, जिन्हें में उचित पाता हूॅ। प्रकरण की समस्त परिस्थितियों में याची की इंजरी रिपोर्ट में वर्णित चोटों पर मानसिक व शारीरिक कष्ट के लिए 5,000/–रु., पुष्टाहार के लिये 5,000/–रु., इलाज के लिये आवागमन पर हुये व्यय के मद में 3,000/–रु., सहायक की सेवाओं के लिए खर्च पर एक मुश्त 3,000/–रु., याची के लगभग 50 दिन महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झॉसी में भर्ती रहने के दौरान उसके द्वारा कार्य न कर पाने के कारण हुई हानि के मद में 165/–रु. प्रतिदिन के हिसाब से 50×165 = 8250/–रु., दिलाया जाना न्यायोचित समझता हूॅ। इस धनराशि पर

ब्याज 7.5 प्रतिशत साधारण वार्षिक की दर से याचिका प्रस्तुत करने के दिनांक से वास्तविक भुगतान के दिनांक तक दिलाया जाना भी उचित होगा ।

आय प्रतिदिन		165
गम्भीर चोटों पर कार्य न कर पाने के कारण आय की क्षति (दिनों में)	50	8250
इलाज पर खर्च के मद मे	62541	70791
मानसिक कष्ट के मद मे	5000	75791
पुष्टाहार पर खर्च के मद मे	5000	80791
यातायात पर खर्च के मद मे	3000	83791
सहायक पर खर्च के मद मे	3000	86791
कुल क्षतिपूर्ति		**86791**

इस प्रकार क्षतिपूर्ति की कुल धनराशि मुब. 86,791/–रु. होती है। तदनुसार वाद बिन्दु सं. 4 निर्णीत किया जाता है।

<u>आदेश</u>

याची की याचिका विपक्षी सं. 3 यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के विरुद्ध क्षतिपूर्ति धनराशि ₹ 86,791/– (छियासी हजार सात सौ इक्यावन रु.) मय 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, के लिए आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विपक्षी संख्या 3 यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को आदेशित किया जाता है कि वह याची को निर्णय के दिनॉक से 45 दिन के अंदर क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण झॉसी के सिंडीकेट बैंक के खाता सं. 92352010008560 IFSC–SYNB0009235 में RTGS/NEFT के माध्यम से कर दें।

याची उक्त धनराशि नगद प्राप्त करेगा।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो।

दिनॉक 05.08.2020

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी।

यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनॉकित कर खुले वर्चुअल न्यायालय मे उदघोषित किया गया।

दिनॉक 05.08.2020

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी।